MPLADS

Members of Parliament Local Area Development Scheme

केंद्रीय क्षेत्र की योजना
(पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित)

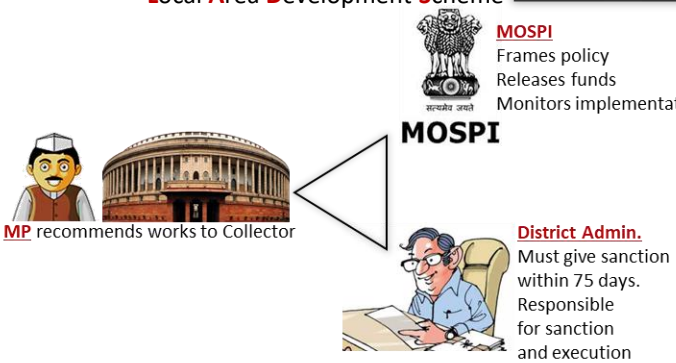

THE HINDU

Explained | The new rules for utilisation of funds under MPLADS PREMIUM

The Centre has revised the procedure dealing with the flow of funds under central sector schemes, including the MP Local Area Development Scheme, or MPLADS. As per the revised norms, MPs will no longer be able to use interest accrued on the fund for development projects.

May 13, 2022 03:18 pm | Updated 03:18 pm IST

MP	परियोजना/प्रोजेक्ट की सिफारिश
लोक सभा	जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह निर्वाचित हुए
राज्य सभा	जिस राज्य से वह निर्वाचित हुए
मनोनीत सांसद	भारत में कहीं भी / किसी भी एक राज्य में

1993 में शुरू हुई

- पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में (1991-1996)
- प्रारंभ में नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय था बाद में 1994 में MoSPI में ट्रांसफर कर दी गई

Prelims 2020 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत निधियों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनो में कौन से सही है ?

1. MPLADS निधियां टिकाऊ परिसम्पतियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है ।
2. प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति/जनजाति जनसँख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है ।
3. MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष क लिए अग्रेनीत नहीं किया जा सकता ।
4. कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यो में से कम-से-कम 10% कार्यो का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है ।

सही उत्तर चुनिए: (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4 (c) केवल 1, 2 और 3 **(d) केवल 1, 2 और 4**

फंड का उपयोग

MoSPI के दिशानिर्देशों के अनुसार , MPLAD फंड का उपयोग मनरेगा कार्य, स्वच्छ भारत अभियान, PwDs एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन (सुगम्य भारत अभियान), वर्षा जल संचयन, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के लिए भी किया जा सकता है।

SC और ST के लिए फंड

- अनुसूचित जाति(SC) क्षेत्रों पर 15% ***फंड*** खर्च होना चाहिए; अनुसूचित जनजाति(ST) क्षेत्रों पर 7.5% ***फंड*** खर्च होना चाहिए
- यदि निर्वाचन क्षेत्र में SC क्षेत्र नहीं है, तो ST क्षेत्र पर फंड खर्च होना चाहिए और यदि ST क्षेत्र नहीं है, तो SC क्षेत्र पर फंड खर्च होना चाहिए
- यदि निर्वाचन क्षेत्र में SC एवं ST, दोनों का ही का क्षेत्र नहीं है तो उस राज्य के भीतर किसी भी SC/ST क्षेत्र पर फंड खर्च होना चाहिए

फंड व्यपगत (Lapse) नहीं होता हैं, अर्थात जो पैसा इस वर्ष खर्च नहीं हुआ, वह अगले वर्ष खर्च किया जा सकता है (भले ही सांसद बदल जाए). लेकिन फंड पर जमा हुआ ब्याज केंद्र को ट्रांसफर किया जाएगा

फंड

- सांसद को नहीं दिया जात है। जिला प्रशासन को सहायता-अनुदान (grants-in aid) के रूप में दिया जाता है
- 1993 में 5 लाख रुपये था , जो धीरे-धीरे बढ़कर 2011 में 5 करोड़ रुपये/वर्ष हो गया
- 2.5-2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में धनराशि जारी की जाती है

फंड पर प्रतिबंध (Restrictions)

- किसी एक ट्रस्ट/सोसाइटी पर 50 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता।
- क्या धन का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र/राज्य के बाहर किया जा सकता है? **हां** (25 लाख रुपये/वर्ष तक)
- आवर्ती व्यय पर खर्च किया जा सकता है ? **नहीं** (किसी भी राजस्व और आवर्ती व्यय पर खर्च नहीं किया जा सकता)

2021 न्यूज़ MPLAD योजना को अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 के दौरान रोक दिया गया था
केंद्र ने कहा कि उसे कोविड से लड़ने के लिए पैसा चाहिए

2022 न्यूज़ ब्याज अब केंद्र को भेजा जाएगा (भारत की संचित निधि में जमा होगा)
पहले MPLAD खाते में ही ब्याज जोड़ा जाता था, ताकि आगे इसका इस्तेमाल किया जा सके।

नदी जल-विवादों के लिए देखें **क्लास-5 पेज-52**
हिंदी वीडियो के लिए टाइमस्टैम्प - 31:03
अंग्रेजी वीडियो के लिए टाइमस्टैम्प - 31:33

यमुना हरियाणा और UP के बीच सीमा बनाती है

Sutlej Yamuna link canal

पंजाब में 121 km और हरियाणा में 90 km
नहर का हरियाणा वाला भाग पूरा हो चूका है।
पंजाब वाला भाग 1991 तक पूरा किया जाना था।

पंजाब का कहना है कि यह नहर रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ है ।
(पानी उस राज्य/देश का है जिससे होकर नदी बहती है)

1951	1961	1971	**1981**	1991	2001	2011
1952	1962	1972	1982	1992	2002	2012
1953	1963	1973	1983	1993	2003	2013
1954	1964	1974	1984	1994	**2004**	2014
1955	1965	1975	1985	1995	2005	2015
1956	**1966**	1976	**1986**	**1996**	2006	**2016**
1957	1967	1977	1987	1997	2007	2017
1958	1968	1978	1988	1998	2008	2018
1959	1969	1979	1989	1999	2009	2019
1960	1970	1980	**1990**	2000	2010	2020

1966 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब में से हरियाणा बनाया गया
1981 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान द्वारा नदी जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर
1986 **Eradi Tribunal** (रवि और ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल) की बनाया गया, पानी की उपलब्धता और बंटवारे के पुनर्मूल्यांकन के लिए की गई थी।
1990 वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या के बाद काम बंद कर दिया गया
1996 नहर का काम पूरा करवाने का निर्देश जारी करवाने के लिए हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट पंहुचा
2004 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नहर का काम पूरा करने के निर्देश दिए
2004 1981 के समझौते को समाप्त करने के लिए पंजाब ने कानून बनाया (पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, 2004)
2004 2004 कानून की संवैधानिक वैधता जांचने के लिए राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143)
2016 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 का कानून संविधान के मुताबिक नहीं है

सतलुज /सतलज

संस्कृत - शुतुद्री / शतद्रु
प्राचीन ग्रीक - जराड्रोस

स्रोत	मानसरोवर-राकस ताल (तिब्बत, चीन)
राज्य	हिमाचल प्रदेश, पंजाब
बांध/ बैराज	भाखड़ा नागल, हरिके , लुहरी , करछम वांगतू, नाथपा झाकड़ी

हरिके वैट्लैन्ड / झील / बैराज (पंजाब)

- ब्यास और सतलज के संगम पर
- यह से इंदिरा गांधी नहर को पानी जाता है
- यह एक मानव निर्मित झील है, जो 1953 में बनी थी
- यह 1990 से एक रामसर साइट है

Prelims 2021 सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित चार नदियों में से तीन इनमे से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है ।निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है?
(A) चेनाब (B) झेलम (C) रावी **(D) सतलुज**

ब्यास नदी भारत में ही सतलुज से मिल जाती है
अन्य नदियां पाकिस्तान में मिलती है ।

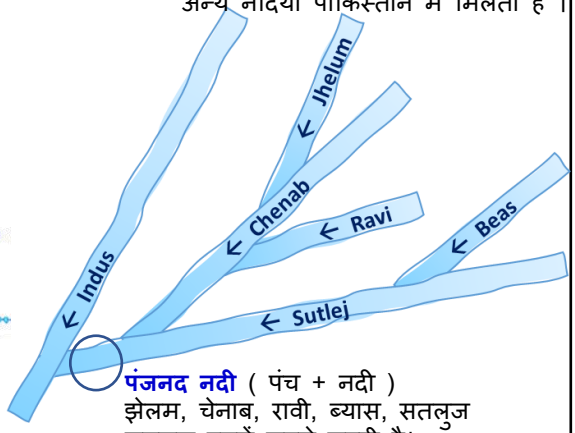

पंजनद नदी (पंच + नदी)
झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज
सतलुज इनमें सबसे लम्बी है।

AFSPA

		इन राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू है	इन राज्यों में हटा दिया गया
उत्तर-पूर्व (कुछ क्षेत्र)	1958-वर्तमान	अरुणाचल प्रदेश,	1997 पंजाब
पंजाब और चंडीगढ़	1983-1997	नागालैंड, मणिपुर,	2015 त्रिपुरा
जम्मू और कश्मीर	1990-वर्तमान	असम, जम्मू कश्मीर	2018 मेघालय
उत्तर-पूर्व के सभी राज्य?	नहीं		
लद्दाख?	नहीं		

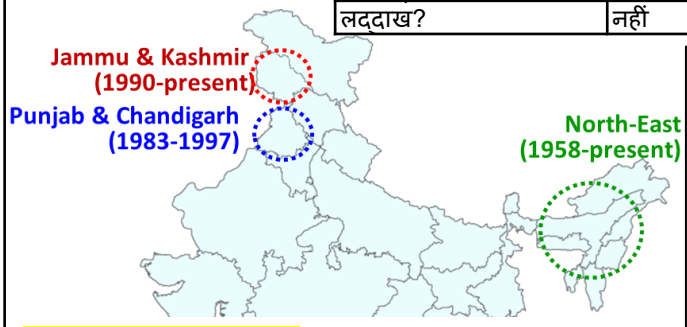

1942 AFSPA अध्यादेश 15-08-1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए

1947 कुछ क्षेत्रों में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए

1958 AFSP (असम और मणिपुर) अधिनियम, 1958 (उत्तर-पूर्व के कई क्षेत्रों के लिए)

1983 AFSP (पंजाब और चंडीगढ़) अधिनियम, 1983 1997 में हटा दिया गया

1990 AFSP (जम्मू और कश्मीर) अधिनियम, 1990

AFSPA का संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 355 संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए ।

अशांत क्षेत्र (डिस्टर्बड एरिया)

- **केंद्र/राज्यपाल/प्रशासक (**केंद्रशासित प्रदेश) द्वारा नोटिफाइ किए जाते है (कानून के आधार पर)
- सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ और विशेषाधिकार मिलते है

शक्तियां/पॉवर्स

- बिना वारंट के तलाशी
- बिना वारंट के संदिग्ध लोगों की गिरफ़्तारी
- किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार
- ऐसे ढांचों को नष्ट करने का अधिकार जहाँ से सशस्त्र हमले किये जा सकते हो
- आर्म्ड फ़ोर्स को उनके एक्शन्स के लिए कानूनी प्रतिरक्षा (Legal Immunity)। (केस चलाने के लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक है)

सेना की ओर से जारी गाइडलाइंस

- गिरफ्तार लोगों को 24 घंटे के भीतर सिविल प्राधिकारियों को सौंपा जाना जरुरी
- गोली तभी चलाई जाए जब गोलियां चलाए जाने का स्त्रोत स्पष्ट हो

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- सशस्त्र बलों द्वारा अधिकारों के हनन की शिकायतों पर NHRC केंद्र से रिपोर्ट मांग सकता है
- NHRC (गैर-बाध्यकारी) सिफारिशें दे सकता है। 3 महीने में केंद्र को अपने द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट (2016 के एक मामले में)

- अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा हुई हर मौत की गहन जांच की जानी चाहिए।

जस्टिस JS वर्मा कमेटी 2013 (2012 दिल्ली गैंगरेप के बाद गठित)

- AFSPA की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है
- सशस्त्र बलों द्वारा की गई यौन हिंसा की सामान्य आपराधिक कानून के तहत जाँच की जाए

Nagaland

राजधानी: **कोहिमा**
सबसे बड़ा शहर: **दीमापुर**

01-12-1963 को भारत का 16वां राज्य बना (नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 द्वारा असम से अलग किया गया)
अरुणाचल, असम, मणिपुर, म्यांमार से सीमा साझा करता है: (मई मैगज़ीन, पेज -21 देखें)

- नागा कोई एक जनजाति (Tribe) नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय (Ethnic Community) है, जिसमें कई जनजातियाँ हैं
- प्रमुख मांगें - ग्रेटर नगालिम ; नागा येजाबो (संविधान); नागा राष्ट्रीय ध्वज

Background (Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)

- 1946 : A. Z. फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल (NNC) का गठन किया; 14-08-1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की
- 1958 : AFSPA लागू हुआ। उग्रवाद को कुचलने के लिए सरकार द्वारा सेना भेजी गई
- 1975 : शिलांग समझौता। NNC के कुछ नेताओं ने हथियार डाल दिए।
- 1980 : मुइवा द्वारा नेशनल सोशयलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड (NSCN) बनाई गई
- 1988 : NSCN, NSCN (इसाक- मुइवा)/(IM) और NSCN (खापलांग)/(K) में विभाजित ।
- 1997 : NSCN(IM) के साथ सरकार का युद्धविराम समझौता ।
- 2015 : NSCN(IM), भारतीय संघ के भीतर सेटलमेंट के लिए सहमत हुआ (लेकिन कुछ मुद्दे सुलझाए जाने बाकी हैं)

PIL

उर्फ "सोशल एक्शन लिटिगेशन" यह कांसेप्ट USA में शुरू हुआ था

जनहित याचिका
- ❑ जनता के हित के लिए SC या HC में मुकदमा दायर करना
- ❑ न्यायिक सक्रियता (Judicial activism) का उदाहरण
- ❑ इसमे लोकस स्टैंडी के नियम को नहीं माना जाता है

लोकस स्टैंडी – याचिकाकर्ता, प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होना चाहिए। लोकस स्टैंडी की अनुपस्थिति में पब्लिक माइंडेड पीपल (NGO, वकील आदि) उन लोगों के लिए न्याय मांगते है जो स्वयं अदालत नहीं जा सकते है ।

जनहित याचिका का संवैधानिक आधार? अनुच्छेद 32 और 226
अधिकारों के हनन के खिलाफ लोगों को SC और HC में जाने का अधिकार है
हालाँकि, PIL संविधान या कानून के किसी भी आर्टिकल में परिभाषित नहीं है

अनुच्छेद 39A (DPSP) समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई न्याय से वंचित न रहे, कानूनी प्रणाली को 'समान अवसर' के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना चाहिए और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए
अनुच्छेद 39A को 42 वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था

Prelims 2008 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. जस्टिस VR कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
2. जस्टिस VR कृष्णा अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL के जनक में से एक माना जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 (B) केवल 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

VR कृष्णा अय्यर (1915-2014)
- 1973-1980 के दौरान SC जज
- 1971-1973 के दौरान विधि आयोग के सदस्य
- आत्मकथा- वोन्डरिंग इन मैनी वर्ल्डस

PN भगवती (1921-2017)
- 1985-1986 के दौरान 17 वें CJI, 1973-1986 के दौरान SC जज
- गुजरात C.J. के रूप में दो बार (ऐक्टिंग) राज्यपाल (1967, 1973) बने
- नोट- राज्यपाल की मृत्यु पर, राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं।

Brief Background, not important for Prelims:

1976 : जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपंजीकृत श्रमिकों को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी (मुंबई कामगार सभा मामला)

1979 हुसैनारा खातून बनाम बिहार मामला (पहली बार जनहित याचिका रिपोर्ट की गई)
- ❑ विचाराधीन कैदियों (undertrials) को अधिकतम सजा से भी अधिक समय तक जेल में कैद होने की खबर अखबार में आई
- ❑ एडवोकेट कपिला हिंगोरानी ने PN भगवती (भारत में जनहित याचिका के जनक) की बेंच के समक्ष SC में मामला दायर किया
- ❑ 40,000 कैदियों को रिहा किया गया ।

1980 सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन
- ❑ तिहाड़ जेल के एक कैदी ने जस्टिस कृष्णा अय्यर को एक कागज भेजा, जिसमें कैदियों की शारीरिक यातना का वर्णन था।
- ❑ जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसे याचिका में बदलवा दिया ।

नोट -
- ❖ 1979 से पहले, केवल प्रभावित व्यक्ति ही अदालत जा सकते थे
- ❖ PIL को सबसे पहले स्वीकार करने वालों में जस्टिस PN भगवती और कृष्णा अय्यर थे
- ❖ प्रक्रियात्मक तकनीकी बारीकियों पर जोर नहीं दिया गया और साधारण पत्रों को भी रिट याचिका के रूप में माना गया
- ❖ धीरे-धीरे PIL, न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन बन गयी

जनहित याचिकाओं का महत्व (बस समझें, याद करने की जरुरत नहीं)
- ❑ न्यायपालिका जाना आसान हुआ है
  - पब्लिक स्पिरीटेड सिटीजन, उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकते हैं जो आसानी से अदालत नहीं जा सकते।
- ❑ लोकतंत्र मजबूत होता है
  - कोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों को अपनी आय , संपत्ति , शिक्षा आदि के बारे में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
- ❑ पब्लिक ऑथोरिटीज की जवाबदेही सुनिश्चित होती है
  - जेल अधिकारियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग कर कैदियों को प्रताड़ित करने का मामला (सुनील बत्रा मामला 1980)
- ❑ कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय मिलता है
  - गरीबो और जरुरतमंदो के लिए मुफ्त कानूनी सेवाएं न्याय का आवश्यक तत्व है (हुसैनारा खातून मामला 1979)
- ❑ पर्यावरण की रक्षा होती है
  - MC मेहता केस 1987: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण दायित्व का सिद्धांत (सख्त दायित्व के बजाय) लाया गया ("पूर्ण दायित्व" (absolute liability) के लिए मैन्स की क्लास-40 पेज-11 देखें)
- ❑ कार्यपालिका की कमी पूरी होती है
  - कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा केस 1997 । इस केस की वजह से "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013" लाया गया ।

ALL INCLUSIVE

Res judicata

Res Judicata = मामला तय (Matter Decided)
"रूल ऑफ कन्क्लूसिवनेस"

Not Allowed

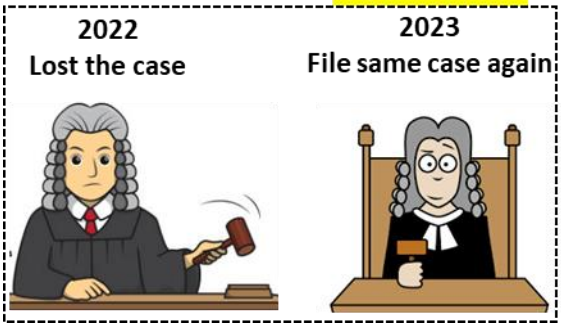

Allowed

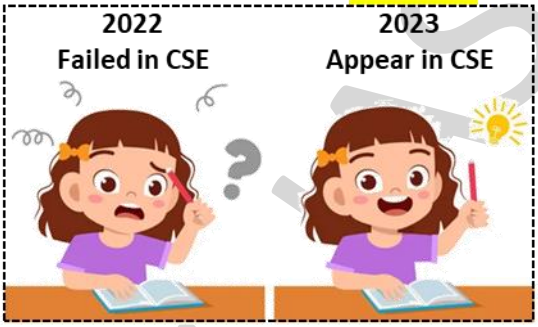

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की धारा-11

किसी भी अदालत को किसी एक पक्ष द्वारा उसी मुद्दे पर पेटिशन फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस मुद्दे पर उसी अदालत या किसी अन्य अदालत द्वारा फैसला आ चूका है

उदाहरण

एक बार किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा बरी या दोषी ठहराए जाने के बाद, उस पर एक बार फिर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

नोट

फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति है
अपवाद हो सकते हैं (जैसे अगर कुछ नए तथ्य सामने आते हैं)

Article 20

अनुच्छेद 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।
(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण जानकारी

- 20(1) - कानून का पूर्वव्यापी संचालन (Retrospective Operation) नहीं होना चाहिए
  - यह नियम केवल आपराधिक/ फौजदारी कानूनों के लिए है, सिविल कानूनों या कर कानूनों के लिए नहीं
- 20(2) - दोहरे दंड का सिद्धांत (Doctrine of Double Jeopardy)
  - लेकिन कार्रवाई, कोर्ट के साथ-साथ सम्बंधित विभाग द्वारा भी की जा सकती है
- 20(3) - चुप रहने का अधिकार, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार
  - लेकिन झूठ नहीं बोलना है, फोटो की इजाजत देनी होगी, **DNA** सैंपल देना होगा, आदि

महत्वपूर्ण संदेश !

Dear Student,

- जैसा कि YouTube पर घोषित किया गया है, 2023-**Course, 2021/2022 Course** का ही **Continuation** है।
- आपको 2021/2022 के सभी वीडियो देखने की **strong** सलाह दी जाती है (इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा)।
- लेकिन यदि आप केवल 2023 के **Topics** को ही देखना चाहते हैं, तो उनका टाइमस्टैम्प वेबसाइट पर दिया गया है।
- 2023 के वो **Topics,** जो 2021/2022 में कवर्ड नहीं है, उनको इस **Course** में शामिल किया जा रहा है।
- कृपया मई 2022 मैगज़ीन (दो **Classes)** को भी देखें।
- सभी **PDF** मुफ्त हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- सभी **Course** नए app/portal पर उपलब्ध हैं (लिंक https://www.allinclusiveias.com/ पर दिए गए हैं)

Regards
अक्षय बंसल
(संस्थापक, All Inclusive IAS)